हिंदी में ऐच्छिक पाठ्यक्रम
हिंदी भाषा : इतिहास और वर्तमान
सत्रीय कार्य (2018–19)

पाठ्यक्रम : बी.डी.पी / बी.एच.डी.ई–106 / ई.एच.डी–06
सत्रीय कार्य कोड : बी.एच.डी.ई–106 / ई.एच.डी–06 / टी.एम.ए / 2018–19
पूर्णांक : 100

खंड–क

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए : 15x4=60

1. भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता के विभिन्न संदर्भों पर प्रकाश डालिए।
2. भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी के विकास की चर्चा कीजिए।
3. हिंदी भाषा क्षेत्र की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
4. संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए।

खंड–ख

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए : 10x3=30

1. राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए।
2. शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी की विभिन्न संभावनाओं पर प्रकाश डालिए।
3. हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए।

खंड–ग

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर लगभग 300 शब्दों में टिप्पणी लिखिए : 5x2=10

1. पालि और प्राकृत
2. संविधान और राजभाषा

guruignou.com

ASSIGNMENT SOLUTIONS GUIDE (2018-2019)

B.H.D.E-106

हिन्दी भाषा: इतिहास और वर्तमान

Disclaimer/Special Note: These are just the sample of the Answers/Solutions to some of the Questions given in the Assignments. These Sample Answers/Solutions are prepared by Private Teacher/Tutors/Authors for the help and guidance of the student to get an idea of how he/she can answer the Questions given the Assignments. We do not claim 100% accuracy of these sample answers as these are based on the knowledge and capability of Private Teacher/Tutor. Sample answers may be seen as the Guide/Help for the reference to prepare the answers of the Questions given in the assignment. As these solutions and answers are prepared by the private teacher/tutor so the chances of error or mistake cannot be denied. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing these Sample Answers/Solutions. Please consult your own Teacher/Tutor before you prepare a Particular Answer and for up-to-date and exact information, data and solution. Student should must read and refer the official study material provided by the university.

खंड-क

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए–

प्रश्न 1. भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता के विभिन्न संदर्भों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता–विश्व में 10 भाषा-परिवार हैं, जिनमें से चार भाषा-परिवार की भाषाएं भारत में व्यवहृत होती हैं। एमेन्यू नामक एक भाषा वैज्ञानिक ने 'भारत : एक भाषिक क्षेत्र' नामक अपने लेख में स्पष्ट किया है कि भारतीय भाषा-परिवारों में कई भिन्नताओं के बावजूद साम्यता भी मिलती है।

भाषिक भिन्नता के होते हुए भी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में ध्वनि, लिपि, उच्चारण, वाक्य, संरचना आदि स्तरों पर समानता देखने को मिलती है, इसीलिए हमें कभी-कभी तेलुगु या मलयालम हिंदी की अपेक्षा अधिक संस्कृतमयी लगती है।

दो अलग-अलग परिवार की भाषा में इतना अधिक अंतर होता है कि एक भाषा बोलने वाला दूसरी भाषा बोलने वालों की भाषा समझ नहीं पाता जैसे कि चीनीभाषी की भाषा एक भारतीय भाषा बोलने वाला बिल्कुल नहीं समझता, किंतु भारतीय भाषाओं के साथ ऐसा नहीं है। इन भाषाओं में कई समानताएं मिलती हैं, जो इन्हें परस्पर बोध की भाषा बना देती हैं। उदाहरणत:, किसी तमिलभाषी की भाषा को हिंदीभाषी अक्षरश: भले न समझ पाए, लेकिन इतना तो समझ ही सकता है कि किस विषय पर चर्चा हो रही है।

भारत में दो प्रमुख भाषा-परिवार हैं–*(i)* भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य भाषाएं तथा *(ii)* द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, उड़िया भाषाएं तथा द्रविड़ भाषाओं में तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं सम्मिलित हैं।

सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश की साम्यता के कारण आर्य भाषाओं और द्रविड़ भाषाओं ने परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित किया, जिसकी वजह से इन भाषाओं में एकता का सूत्रपात हुआ। और यह एकता केवल शाब्दिक स्तर पर नहीं मिलती है, बल्कि उच्चारण आदि कई मूलभूत स्तरों पर भी मिलती है।

ध्वनि और उच्चारण के स्तर पर समानता

भारतीय भाषाओं में ध्वनि संबंधी साम्यता इस प्रकार हैं–

(i) स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ के क्रम की व्यवस्था है। इसकी तुलना में भारोपीय परिवार की यूरोपीय (अंग्रेजी, रूसी आदि) भाषाओं में स्वर की मात्रा शब्द में स्वर के परिवेश के आधार पर बदलती है।

(ii) भारतीय भाषाओं में व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है, जबकि यूरोपीय भाषाओं में रोमन वर्णमाला की ध्वनियों का कोई क्रम नहीं है।

(iii) ट, ष, ण का उच्चारण भारतीय भाषाओं की विशेषता है। ट-वर्ग की ध्वनियाँ द्रविड़, मुंडा परिवार में भी मिलती हैं, लेकिन अन्य भारोपीय (यूरोपीय) भाषा-परिवार में 'ट' वर्ग का उच्चारण नहीं है।

(iv) महाप्राण ध्वनियाँ भारतीय भाषाओं की विशेषता है। संस्कृत तथा द्रविड़ भाषाओं में यह विशेषता सुरक्षित है।

(v) भारतीय भाषाओं में ङ, ञ, न, म, ण पाँच नासिक्य व्यंजन मिलते हैं, जबकि यूरोपीय भाषाओं में दो ही नासिक्य व्यंजन न और म मिलते हैं।

लिपि के स्तर पर समानता

भारत में उर्दू, सिंधी और कश्मीरी को छोड़कर कुल नौ लिपियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. देवनागरी लिपि (हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि),
2. तेलुगु की लिपि,
3. तमिल की लिपि,
4. मलयालम की लिपि,
5. गुजराती की लिपि,
6. पंजाबी की लिपि (गुरुमुखी),
7. कन्नड़ की लिपि,
8. बंगला की लिपि (असमी और मणिपुरी के लिए भी व्यवहृत)
9. उड़िया की लिपि।

(i) ये लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, इसलिए इन लिपियों में वर्ण-समानता, लेखन-समानता आदि तत्त्व एक जैसे हैं, जैसे–

ब्राह्मी – 𑀅
हिंदी – अ
गुजराती – અ
पंजाबी – ਅ
बंगला/असमी – অ
ओड़िया – ଅ
तमिल – அ
मलयालम – അ
कन्नड़ – ಅ
तेलुगु – అ

इन भाषाओं में सिर्फ वर्ण-साम्यता ही नहीं बल्कि मात्राओं की समानता भी है–

हिंदी – का, गुजराती – કા
पंजाबी – ਕਾ, बंगाला/असमी – কা
ओड़िया – କା तमिल – கா
मलयालम – കാ कन्नड़ – ಕಾ
तेलुगु – కా

(ii) रोमन की तुलना में भारतीय भाषाओं की लिपियां आक्षरिक हैं अर्थात व्यंजन के बाद स्वर मात्रा के रूप में आता है, दो या तीन व्यंजन एक ही साथ उच्चरित हों तो उनका सम्मिलित रूप बनता है, जैसे– च् + च = च्च, द् + य = द्य आदि। एक ही संयुक्त वर्ण में एक ही साथ कई ध्वनियां उच्चरित हो सकती हैं–

ष्ट्रों = ष + ट + र + ओ + अनुनासिकता

न्द्रि = न + द + र + इ

(iii) अंग्रेजी में अनुस्वार के लिए वर्ण N का प्रयोग होता है अगर बाद के अक्षर k, c, t हों। इसी तरह भारतीय भाषाओं में अगर शब्द में बाद का वर्ण स्पर्श हो तो अनुस्वार लगाकर उस शब्द (वर्ग) को नासिक्य व्यंजन बनाया जा सकता है, जैसे–

अंत, अंग, गंगा, गंगा

शब्द स्तर पर भारतीय भाषाओं में समानता

शब्द-स्तर पर भी भारतीय भाषाओं में समानता मिलती है। हिंदी-भाषा में प्रमुखतः चार स्रोतों से शब्दों का आगमन हुआ है, जिन्होंने हिंदी भाषा को एक व्यापक रूप तो दिया ही है, साथ ही उनकी शाब्दिक समानता को भी स्पष्ट किया है। चारों स्रोतों की व्याख्या इस प्रकार है–

***(i)* तत्सम शब्द**–जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी-भाषा में लाए गए, उनको तत्सम कहा गया (तत् + सम = तत्सम–उसके समान)

***(ii)* तद्भव**–संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के बाद आधुनिक भाषाओं में अपनाए गए, तद्भव कहलाते हैं (तत् + भव = उससे पैदा हुआ)।

***(iii)* देशज शब्द**–वस्तुतः ये शब्द जनसाधारण के प्रयोग से बने (देशज= देश से निकला हुआ।)

(iv) **अन्य स्रोतों से आए शब्द**–अन्य स्रोतों से भी हिंदी में हजारों शब्द लिए गए हैं अर्थात अन्य दूसरी भाषाओं से भी हिंदी में शब्द आए हैं या लाए गए हैं, जिन्हें हम तीन समूह में विभक्त कर सकते हैं–

(क) भारतीय भाषाओं से आए शब्द–अगरु, चंदन, मुख, कठिन, मीन आदि द्रविड़ भाषाओं से लिए गए हैं, तांबूल, शृंगार, आकुल आदि (मुंडा भाषाओं से), उपन्यास, गल्प, धन्यवाद (बंगला से), वाङ्मय, लागू, प्रगति (मराठी से), हड़ताल (गुजराती), छोले (पंजाबी से)।

(ख) अरबी-फारसी आदि के शब्द–हिंदी भाषा में अरबी-फारसी आदि भाषाओं के शब्द सहजता से व्यवहृत किए जाते हैं। मुगलों के समय से ही इन भाषाओं के शब्दों का व्यवहार हिंदी में किया जा रहा है–

अरबी के शब्द–इंतज़ाम, रहम, मुल्क, अदब, हुक्म, जिस्म,, अक्ल, मशहूर, इन्क़लाब, किताब।

फारसी के शब्द–चश्मा, बर्फ़, सफ़ेद, सितारा, आदमी, औरत, लाल, ख़रीदना, खुदा, खुद, फ़सल, पाजामा आदि।

तुर्की के शब्द–बहादुर, चाकू, कैंची, तोप, दारोगा, चेचक, बीबी, गनीमत, बावर्ची, काबू, तमगा, चोगा, कुर्क आदि।

(ग) विदेशी शब्द–भारत में समय-समय पर विदेशी आक्रमण के कारण, विदेशियों का आना-जाना एक लंबे समय तक होता रहा। कभी पुर्तगाली, कभी डच, कभी फ्रांसीसी और कभी अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते रहे। इन लोगों के साथ संपर्क के कारण भारतीय भाषाओं में इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होने लगा।

वाक्य संरचना के स्तर पर समानता

किसी भी भाषा का सबसे दुरूह (जटिल) पक्ष उसका वाक्य-विन्यास (संरचना) होता है। भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता को उनकी वाक्य-संरचना और भी मजबूत करती है। भारतीय भाषाओं की वाक्य-संरचना की समानता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं–

(i) **वाक्य में पदक्रम की समानता**–भारतीय भाषाओं में कर्ता-कर्म-क्रिया का क्रम है जबकि अंग्रेजी भाषा का पदक्रम कर्ता-क्रिया-कर्म का है। भारतीय भाषा में कश्मीरी भाषा में यही क्रम है–कर्ता-कर्म-क्रिया। द्रविड़ तथा मुंडा भाषाओं में भी यही क्रम है।

(ii) **पदबंध के भीतर शब्दों का क्रम**–हिंदी में हमेशा विशेषण संज्ञा के पूर्व आता है, पर कई भाषाओं में इनका उलटा क्रम भी होता है। पदबंध क्रम को तीन प्रकार से समझा जा सकता है–

(क) परसर्ग कर्म–हिंदी में संज्ञा के बाद कारक चिह्न या प्रत्यय को लगाया जाता है, इसलिए इन्हें परसर्ग कहते हैं–घर में, घर को, घर की तरफ।

भारोपीय परिवार की भारतीय भाषाओं में परसर्ग तथा यूरोपीय भाषाओं तथा फारसी में पूर्वसर्ग का प्रयोग होता है। द्रविड़ तथा तिब्बती-बर्मी भाषाओं सभी में परसर्ग का प्रयोग होता है।

(ख) सारी भारतीय भाषाओं में विशेषण संज्ञा के पहले आता है, जैसे–भली लड़की, बड़ा आदमी आदि।

(ग) क्रिया-रचना का शब्द-क्रम–हिंदी भाषा में मुख्य क्रिया पहले आती है तथा सहायक क्रियाएं बाद में, जबकि अंग्रेजी में ठीक इसके विपरीत होता है–

किया जा रहा है (मुख्य क्रिया–कर)

Has been done (मुख्य क्रिया–do)

(iii) वचन, संस्कृत में तीन वचन होते हैं–एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पर अन्य भारतीय भाषाओं में दो ही वचन हैं–एकवचन और बहुवचन।

(iv) **वाक्य-संरचना**–इस स्तर पर जहाँ अंग्रेजी में कर्ता कारक (मैं) का प्रयोग होता है वहीं भारतीय भाषाओं में (हिंदी) संप्रदान कारक 'मुझे' का प्रयोग होता है, जैसे–

अंग्रेजी में–I have fever, I feel cold

हिंदी में–मुझे बुखार है, मुझे ठंड लग रही है।

अर्थात यूरोपीय भाषाओं में कर्ता 'I' की तथा भारतीय भाषाओं में 'संप्रदान 'मुझे' की प्रवृत्ति है।

(v) **रंजक क्रिया**–'कर' मूल क्रिया है तथा रंजक क्रियाएं हैं– कर लेना, कर डालना, कर देना। भारतीय भाषाओं की एक मुख्य विशेषता है 'रंजक क्रिया'। सभी भारतीय भाषाओं में यह क्रिया है जबकि यूरोपीय भाषाओं में यह क्रिया नहीं मिलती।

(vi) **पूर्वकालिक कृदंत 'कर' का प्रयोग**–वाक्य-संरचना में 'कर' का प्रयोग भारोपीय परिवार की अन्य भाषाओं में नहीं, सिर्फ भारतीय भाषाओं में ही मिलता है–

मैं उठकर आया– I got up and came out.

तुम जाकर पता लगाओ– You go and find out.

(vii) **प्रेरणार्थक क्रिया**–आर्य भाषाओं तथा द्रविड़ भाषाओं में लगभग समान रूप से प्रेरणार्थक क्रिया की रचना होती है, पर अंग्रेजी भाषा में यह क्रिया अलग होती है,

जैसे–	हिंदी	तेलुगु	अंग्रेजी
	करना	चेचु	to do

(viii) **वाक्य**-संरचना संबंधी कुछ असमान तत्त्व भी भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। हिंदी में वाच्य का सामान्य प्रयोग, योजक तत्त्व जो, जहाँ, जैसे आदि से वाक्य-रचना की सहज प्रवृत्ति, उपवाक्य को 'कि' से जोड़ना आदि तत्त्व मिलते हैं, जो अंग्रेजी में भी समान रूप से मिलते हैं, पर द्रविड़ भाषाओं में इन तीनों तत्त्वों का या तो अभाव है या सहज प्रयोग नहीं है। इन भाषाओं में इत्यर्थक शब्द (quotative) से वाक्य और उपवाक्य को जोड़ा जाता है–

कन्नड़–यावाग रजा एन्दु अवनु केळिदनु

हिंदी–कब छुट्टी यों उसने पूछा

आधुनिक द्रविड़ भाषाओं में 'जो-वह', 'जब-तब' के लिए 'यावन-अवन', 'एन्गे-अंगे' (जहाँ-वहाँ) (तमिल), एप्पुडु-अप्पुडु (जब-तब) (तेलगु) आदि योजकों का प्रयोग होने लगा है। द्रविड़ भाषाओं में आधुनिक आर्य भाषाओं (साथ में, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव स्वरूप) के कारण भाषिक संरचना के क्षेत्र में समानता आ रही है।

प्रश्न 2.भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी के विकास की चर्चा कीजिए।

उत्तर–आधुनिक काल में हिंदी–आधुनिक काल तक हिंदी पूरी तरह विकसित हो जाती है। हिंदी साहित्य के पटल से ब्रजभाषा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। 12वीं सदी की शुरुआत में ब्रजभाषा में काव्य-रचना तो होती है, पर गद्य साहित्य की रचना की शुरुआत खड़ी बोली से ही होती है। और आगे चलकर हिंदी कविता भी खड़ी बोली में रची जाती है और ब्रजभाषा हिंदी की बोली मात्र बनकर रह जाती है। खड़ी बोली का विकास ही हिंदी का विकास है।

खड़ी बोली का विकास

खड़ी बोली की परंपरा बहुत पुरानी है। इसके संपूर्ण इतिहास तथा विकास को समझने के लिए इसका विभाजन दो भागों में किया गया है–(क) 19वीं सदी का पूर्वार्द्ध तथा (ख) 19वीं सदी के बाद का।

(क) 19वीं सदी का पूर्वार्द्ध–19वीं सदी के पहले की खड़ी बोली का स्वरूप आज की खड़ी बोली-सा नहीं था। 11वीं सदी के काव्य-ग्रंथ 'राउलवेल' में खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप मिलता है।

19वीं सदी से पहले कविता की प्रधानता थी, गद्य की रचना नाममात्र की होती थी और कविता में खड़ी बोली के संकेतमात्र ही मिलते हैं। गोरखानी तथा नाथसिद्धों की बानियों में खड़ी बोली के रूपों का संकेत मिलता है। 16वीं सदी के एक ग्रंथ (सूफी) 'कुतुबशतक' की भाषा' दक्खिनी जैसी लगती है। उदाहरण देखिए–

"तब ग्यारह सौ आदमी कुतुबुद्दीन नवल पास रणे तिसमें पंच सौ बूढ़ी।"

प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी प्राणनाथ जी (शेखमीराजी का किस्सा) की मातृभाषा सिंधी तथा गुजराती थी, पर उत्तर भारत आने पर उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएँ करनी शुरू कर दीं तथा इसका नाम 'हिन्दुस्तानी' रख दिया।

प्रणामी साहित्य गद्य और पद्य रूपों में मिलता है। डॉ. वार्ष्णेय के अनुसार, "यह गद्य साहित्य लगभग 1650-1680 ई. के मध्य लिखा गया है तथा उर्दू गद्य की प्रथम रचना 'दहमजलिस या मरबल कथा' का रचनाकाल लगभग 100 वर्ष बाद का है।"

महाराष्ट्र के संत कवियों–नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि की वाणी में खड़ी बोली के रूपों की झलक मिलती है। संस्कृत भाषा तो उस समय संभ्रान्त वर्ग की भाषा थी जबकि 'भाखा' का संबंध जनसामान्य से था। कबीर लिखते हैं–

'संसकिरत कबिरा कूप जल, भाखा बहता नीर।'

लेकिन, महाराष्ट्र के संत कवियों के काव्य में खड़ी बोली स्पष्ट देखी जा सकती है। नामदेव के पद का उदाहरण देखिए–

"पांडे तुम्हारा महादेव, धौल बदल चढ़्या आवत देखा था।"

मध्यकालीन राम और कृष्ण भक्ति साहित्य में यों तो अवधी और ब्रजभाषा में रचना हुई, पर जाने-अनजाने में खड़ी बोली के कुछ तत्त्व भी उस समय के कुछ कवियों के काव्य में आ गए। इस दृष्टि से महाकवि सूरदास की पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं–

"हे दैया मतवाला योगी, द्वारे तेरे आया है।
देखो मैया तैरा बालक, जिन मोय चटक लगाया है।।"

रीतिकालीन साहित्य दरबारी वातावरण में विकसित हुआ। रीतिकाल में भी ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया गया है। साहित्य- रचना में, लेकिन इस ब्रजभाषा में दरबारी संगति के कारण खड़ी बोली के तत्त्वों की ज्यादा झलक मिलती है। घनानंद की 'विरह लीला' और रघुनाथ की 'इश्क महोत्सव' आदि कृतियाँ विशुद्ध खड़ी बोली में लिखी गई हैं।

18वीं शताब्दी में महामहोपाध्याय वररुचि कृत 'पत्र कौमुदी' के बारे में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इस पुस्तक में पाँच पत्रों को हिन्दुस्तानी भाषा में लिखा गया है। इससे पता चलता है कि 18वीं सदी के आरंभ से ही इस भाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया गया। 18वीं सदी में रामप्रसाद निरंजनी कृत 'भाषा योग वाशिष्ठ' को ही सही मायनों में खड़ी बोली गद्य की पुस्तक समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने इस पुस्तक की चर्चा करते हुए कहा है–''लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि अंग्रेजों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य का विकास

हुआ, बल्कि खड़ी बोली गद्य का विकास उससे पहले ही हो चुका था। निरंजनी जी के साथ-साथ दौलतराम के 'पद्मपुराण' ग्रंथ में भी हमें खड़ी बोली गद्य की झलक मिलती है।"

उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गद्य लेखन की परंपरा अधिक व्यवस्थित ढंग से विकसित हुई। डॉ. चटर्जी ने लिखा है–"19वीं शताब्दी के अंत तक दक्षिण के मुस्लिम राज्य उत्तर की भाषा के केन्द्र बन चुके थे। ये राज्य बहमनी साम्राज्य तथा उसके पाँच भाग–बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर थे।" 17वीं शताब्दी तक इस भाषा ने वहाँ की साहित्यिक भाषा का स्थान लेकर राजभाषा की पदवी हासिल कर ली। इसी भाषा को विद्वानों ने दकनी या दक्खिनी का नाम दिया।

इस दक्खिनी के भी अनेक रूप मिलते हैं–औरंगाबाद और उसके आस-पास की भाषा में मराठी, गुलबर्गा और बीजापुर की भाषा में कन्नड़ तथा हैदराबाद की भाषा में तेलुगु भाषा का प्रभाव दिखता है, पर साहित्यिक भाषा के रूप में दक्खिनी स्थिर और एकरूप है।

दक्खिनी में गद्य और पद्य साहित्य की रचना हुई तथा ख्वाजा बन्दानवाज गेसूदराज हुसैनी (1318-1422) इसके प्रथम कवि हैं। इनके अलावा अब्दुस्समद की 'तफसीरे बहावी' (1553 ई.) शाहमीरान की 'मरकुबुल कलूब' तथा शाहबुरहाबुद्दीन की 'कलमतुल हाकायत' और वजही की 'सबरस' (1620 ई.)। वजही की पुस्तक आधुनिक हिंदी के निकट की रचना मानी जाती है।

19वीं सदी के बाद खड़ी बोली का विकास–इस सदी के आरंभ से ही खड़ी बोली हिंदी गद्य की आधारभूमि बन गई। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का राज्य हो चुका था और अंग्रेजों को अपना राज-काज चलाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी और उसके लिए आवश्यक था कि वे यहाँ की भाषा सीखें। उस समय दो भाषाएँ व्यवहार में थीं। एक तो जनसामान्य के बीच प्रयुक्त होने वाली खड़ी बोली थी तथा दूसरी वह जो मुसलमानों द्वारा व्यवहृत होने के कारण उर्दू कहलाती थी। अंग्रेजों ने खड़ी बोली को स्वीकृति दी और धीरे-धीरे इस भाषा का विकास शुरू हुआ और मुद्रण यंत्र की स्थापना से खड़ी बोली में अंग्रेजी से अनूदित सामग्री प्रकाशित होने लगी।

खड़ी बोली का व्यवस्थित ढंग से विकास कार्य हुआ कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से। इस कॉलेज का निर्माण अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया था। वे अपने अफसरों को भाषा की शिक्षा दिलाना चाहते थे और जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में शुरू की गई संस्था 'ओरिएंटल सेमिनरी' ही फोर्ट विलियम कॉलेज कहलाई। गिलक्राइस्ट के अनुसार 'हिन्दुस्तानी की तीन शैलियाँ–1. दरबारी फारसी, 2. हिन्दुस्तानी शैली या उर्दू तथा 3. हिन्दी या गँवारू शैली थी। उन्होंने (खड़ी बोली का ही रूप) उर्दू को महत्त्व दिया।

1802 ई. में इस कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल की नियुक्ति के साथ ही कॉलेज के मंच से अनेक पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित होनी शुरू हो गईं, जिनमें 'सिंहासन बत्तीसी', 'बेताल पचीसी', 'शकुन्तला नाटक', गिलक्राइस्ट द्वारा रचीं 'डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एण्ड हिन्दुस्तानी' तथा 'हिन्दुस्तानी व्याकरण' आदि उल्लेखनीय हैं।

खड़ी बोली गद्य के विकास में लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदासुखलाल तथा इंशा अल्ला खाँ का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यों तो कॉलेज का माहौल उर्दू का था, पर लल्लू लाल की खड़ी बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव था तथा सदल मिश्र की खड़ी बोली पर पूर्वी हिंदी का प्रभाव था। मुंशी इंशा अल्ला खाँ की 'रानी केतकी की कहानी' प्रसिद्ध कृति थी, जो इसी समय प्रकाशित हुई थी। मुंशी सदासुखलाल ने 'विष्णुपुराण' के एक प्रसंग पर ग्रंथ लिखा था। इनकी भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। इनकी भाषा संस्कृतयुक्त खड़ी बोली थी।

खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई पादरियों का योगदान–ईसाई पादरियों ने भी खड़ी बोली के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 1801 में विलियम केरे ने 'न्यू टेस्टामेंट' का अनुवाद प्रकाशित करवाया तथा 1854 ई. में 'हिस्ट्री ऑफ बाइबिल' का अनुवाद भी करवाया गया। सेण्ट मैथ्यू, सेण्ट जॉन के विचारों के अनुवाद सहित ईसाई मिशनरियों ने अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकों को अनूदित करवाया। पहले इनका उद्देश्य तो अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करना था, लेकिन जब शिक्षा-संस्थानों में पढ़ाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता हुई, तो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विभिन्न विषयों की पुस्तकें तैयार करवाई गईं। 1801 से 1823 ई. तक ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदी के साथ-साथ अवधी, ब्रज, बघेली, मारवाड़ी, कन्नौजी आदि सभी भाषाओं में धर्म प्रचार से संबंधित छपी पुस्तकों में, हालांकि व्याकरणिक अशुद्धियाँ तथा अपरिपक्वता थी, लेकिन हिंदी के विकास में इन पुस्तकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पत्र-पत्रिकाएँ और खड़ी बोली का विकास–19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में ही इस युग की हिंदी पत्रकारिता का जन्म होता है, जिससे हिंदी के विकास की गति दोगुनी शक्ति से आगे बढ़ने लगती है, इसलिए इस दृष्टि से 19वीं सदी का पूर्वार्द्ध महत्त्वपूर्ण है। कलकत्ता के पं. युगल किशोर को हिंदी पत्रकार कला का जन्मदाता माना जाता है। इनके ही परिश्रम एवं लगन से 30 मई, 1826 को 'उदन्त मार्तण्ड' नामक पत्र प्रकाशित हुआ, पर ग्राहक के अभाव में 4 दिसम्बर, 1827 को बंद हो गया। इसके बाद 9 मई, 1829 को 'बंगदूत', 1864 ई. में 'प्रजामित्र', 1844 में शिवप्रसाद सितारे हिन्द का 'बनारस अखबार' तथा 1854 ई. में 'समाचार सुधावर्षण' आदि पत्रों ने हिंदी विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रश्न 3. हिंदी भाषा क्षेत्र की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर–भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत छह राज्य आते हैं–उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इन क्षेत्रों की समस्त बोलियों को पाँच भागों में बाँटा गया है और इन पाँच वर्गों को उपभाषा कहा गया, जिनके अंतर्गत कुल मिलाकर 17 बोलियाँ पाई जाती हैं।

मारवाड़ी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियाँ अपनी-अपनी उपभाषाओं की प्रमुख बोलियाँ कही जाती हैं।

guruignou.com

'मारवाड़ी' राजस्थानी उपभाषा की प्रमुख बोली है तथा इस वर्ग की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भी है। इस भाषा में आदिकालीन रचनाएँ भी की गई हैं। मारवाड़ी का पूर्व रूप 'डिंगल' भाषा थी, जिसमें वीरगाथात्मक रचनाएँ भी की गई हैं तथा मीराबाई की रचनाएँ भी इसी भाषा में हैं।

ब्रज पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है तथा साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्त्वपूर्ण बोली मानी जाती है। भक्तिकाल में सूरदास की 'सूरसागर' के अतिरिक्त केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल आदि के साहित्यकारों ने भी ब्रज में रचनाएँ कीं। साहित्यिक संपन्नता के कारण इसे भाषा की संज्ञा मिली।

खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी का स्रोत माना जाता है।

अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है। साहित्यिक दृष्टि से अवधी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तिकालीन कवियों में तुलसीदास की 'रामचरितमानस', जायसी की 'पद्मावत' और इनके साथ ही मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मान आदि की रचनाएँ भी अवधी में रचित हैं।

भोजपुरी बिहारी वर्ग की बोली है तथा हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। भोजपुरी का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व भी है।

मैथिली बिहारी बोलियों में साहित्यिक दृष्टि से सबसे संपन्न है। विद्यापति ने मैथिली में ही अपनी पदावली की रचना की थी। इस भाषा की साहित्यिक संपन्नता के कारण इसे मैथिली-भाषी द्वारा 'भाषा' का दर्जा दिया गया है।

इन बोलियों की कई सामान्य विशेषताएँ भी हैं। मारवाड़ी, ब्रज, खड़ी बोली में कर्ता-क्रिया, अन्विति तथा 'ने' प्रत्यय की रचना होती है। अवधी के संज्ञा शब्दों में 'वा' (घोरवा, अहिरवा) प्रत्यय लगता है। अवधी, भोजपुरी तथा मैथिली के भविष्यकाल में 'ह' तथा 'ब' प्रत्यय लगता है। भाषागत विशेषताओं के अलावा इन बोलियों की कुछ और विशेषताएँ हैं, जिनके द्वारा भाषा और बोली के संबंध को समझने में सहायता मिलती है, जैसे—मानक हिंदी से खड़ी बोली का उच्चारणगत अंतर स्पष्ट रूप से दिखता है तथा हिंदी भाषा उच्चारण की दृष्टि से संस्कृत के निकट लगती है। बोली और भाषा के संबंध में उच्चारण, शब्दावली की संख्या, वाक्य-विन्यास का सुगठित रूप आदि भिन्नताएँ भी बोलियों को भाषा से अलग करती हैं।

मारवाड़ी

हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को पाँच वर्गों में बाँटा गया है और इन पाँच वर्गों को उपभाषा की संज्ञा दी गई है। पाँच उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियाँ आती हैं और ये बोलियाँ भारत की छह राज्यों में मुख्य रूप से बोली जाती हैं।

'मारवाड़ी' बोली राजस्थानी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है। राजस्थान के मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी बोली राजस्थानी वर्ग की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली होने के कारण इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बोली है।

इस बोली में साहित्य रचना होने के कारण इसका साहित्यिक महत्त्व भी है। आदिकाल में दो मुख्य भाषाओं में रचनाएँ होती थीं—डिंगल और पिंगल। पिंगल तो ब्रज की भाषा थी, लेकिन डिंगल को मारवाड़ी का पूर्वरूप कहा जाता है। आदिकाल की वीरगाथात्मक रचनाएँ डिंगल में ही लिखी गई थीं। मीराबाई ने भी भक्तिकाल में अपनी रचनाएँ डिंगल में ही लिखी थीं और आज भी राजस्थानी साहित्य मारवाड़ी में ही लिखा जा रहा है। 'मारवाड़ी' बोली की कई उपबोलियाँ भी हैं, जैसे—मेवाड़ी, शेखावटी, सिरोही आदि।

ब्रज

'ब्रज' पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है। 'ब्रज' बोली उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी आदि जिलों में तो बोली ही जाती है, पर इसके साथ ही वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भरतपुर तथा राजस्थान के भरतपुर आदि जिलों में भी बोली जाती है।

इस भाषा का साहित्यिक महत्त्व भी है। यह (ब्रज) साहित्य की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्त्वपूर्ण बोली मानी जाती है। भक्तिकाल तथा रीतिकाल का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा गया था। भक्तिकाल में सूरदास ने ब्रज में लिखकर इसे महत्त्वपूर्ण ऊँचाई दी है। इस भाषा में भारत के कई क्षेत्रों में साहित्य रचना की गई है, जैसे—केरल में कवि स्वाति तिरुनाल का काव्य, आंध्र प्रदेश के नाटककार पुरुषोत्तम कवि द्वारा नाटक-लेखन। बंगाल में इसे 'ब्रजभाषा' कहा गया। आधुनिक काल में भी इस भाषा में साहित्य-सृजन हो रहा है।

खड़ी बोली

हिंदी भाषा की एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी की पाँच प्रमुख बोलियों में से एक खड़ी बोली है। खड़ी बोली को हिंदी भाषा का स्रोत कहा जाता है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। दिल्ली के आस-पास की भाषा होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की भाषा भी कहा जाता है। खड़ी बोली की उत्पत्ति खरी (अच्छी) से हुई मानी जाती है। इस बोली ने ही विकसित होकर पहले उर्दू, फिर हिंदी का रूप लेकर हिंदी साहित्य का विकास किया। खड़ी बोली में कोई महत्त्वपूर्ण साहित्य नहीं मिलता।

अकसर, यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या खड़ी बोली का स्वरूप आधुनिक हिंदी की रचना के समान है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि खड़ी बोली एक स्थानीय बोली बनकर रह गई और हिंदी भाषा विकास-क्रम के कारण एक संपन्न तथा विकसित भाषा के रूप में हमारे सामने आई है। खड़ी बोली का उदाहरण निम्नलिखित गद्यांश से दिया जा रहा है–

"कोई बादसा था। साब उस्के दो राण्याँ थीं। एक के तो दो लड़के थे और एक के एक। वो एक रोज अप्नी रान्नी से केने लगा मेरे समान और बादसा है बी? तो बड़ी बोल्ले के राजा तुम समान ओर को होग्गा जेस्सा तुम वेस्सा ओर कोई नई।"

उपर्युक्त गद्यांश से स्पष्ट है कि रचना की दृष्टि से यह मानक हिंदी से भिन्न नहीं है, पर उच्चारण की दृष्टि से खड़ी बोली और हिंदी में भिन्नताएं हैं। जैसे–राणी (रानी), बोल्ला (बोला), पेले (पहले), रये थे (रहे थे), खुस (खुश)। कुछ अंतरों को छोड़कर खड़ी बोली में ण, ल का व्यापक उच्चारण होता है। व्यंजन द्वित्व रूप में होते हैं, वर्तमान तथा सामान्य भूतकाल अलग हैं आदि। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं–करणा, जाणा, जंगल (ण, ल), गाड्डी, जात्ता, छोट्टा (द्वित्व), मारे है, मारे था (वर्तमान और भूतकाल) आदि।

अवधी

'अवधी' हिंदी भाषा की उपभाषा पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसके भाषा-क्षेत्र 'अवध' के नाम पर ही इसका नामकरण अवधी हुआ है। यह बोली उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, उन्नाव के आस-पास तथा इलाहाबाद के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य-रचना की दृष्टि से अवधी महत्त्वपूर्ण भाषा है। भक्तिकालीन कवियों ने अवधी में कई महत्त्वपूर्ण रचनाएं हिंदी-साहित्य को दी हैं, जिसमें तुलसीदास की 'रामचरितमानस', जायसी की 'पद्मावत' प्रमुख रूप से आती हैं। इनके साथ ही मुल्ला दाऊद, कुतबन, उस्मान आदि कवियों ने भी अवधी में काव्य-रचना की है।

भोजपुरी

'भोजपुरी' हिंदी भाषा की बिहारी उपभाषा की एक प्रमुख बोली के रूप में जानी जाती है। इसके नाम का संबंध भले ही एक छोटे-से स्थान (भोजपुर) से हो, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। भोजपुरी बोली पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाज़ीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ आदि जिलों में तथा पश्चिमी बिहार के शाहाबाद, चंपारण, भोजपुर, सारन, छोटानागपुर आदि जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी हिंदी की बोलियों में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इस बोली में साहित्य लिखित रूप में नहीं मिलता। यहाँ के साहित्यकारों ने ब्रज, अवधी, हिंदी आदि में अपनी रचनाएँ की हैं, लेकिन आज के समय में भोजपुरी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भोजपुरी में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं, रेडियो पर इसके कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और तो और सिनेमा जगत में हिंदी की बोली के रूप में भोजपुरी में ही सबसे अधिक फिल्में बन रही हैं।

मैथिली

हिंदी भाषा की उपभाषा बिहारी की एक प्रमुख बोली के रूप में मैथिली जानी जाती है। मिथिला प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे 'मैथिली' कहा जाता है। मिथिला बिहार के उत्तरी भाग में चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में मैथिली बोली जाती है। बंगलाभाषी क्षेत्र की निकटता के कारण बंगला भाषा से इसकी कई समानताएं मिलती हैं।

बिहार की बोलियों में मैथिली साहित्य की दृष्टि से सबसे संपन्न है। आदिकालीन कवि विद्यापति ने मैथिली में ही अपनी पदावली की रचना की थी, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक मैथिली में विशाल साहित्य की रचना की गई है। अब तो मैथिली विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जा रही है। इसके कई साहित्यकार साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जाते रहे हैं। इसकी साहित्यिक संपन्नता के कारण ही मैथिलीभाषी इसे भाषा का दर्जा देते हैं।

प्रश्न 4. संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–हिंदी संपर्क भाषा क्यों?

सर्वविदित है कि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क-सूत्र का काम करती थी और उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के बीच की भाषिक कड़ी भी संस्कृत ही थी। बदरीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका आदि का संवाद- कार्य संस्कृत-भाषा से ही होता था तथा इस भाषा में साहित्य, दर्शन, राजनीति, गणित, ज्योतिष, खगोल-विज्ञान आदि का ज्ञान उपस्थित था।

कुछ समय बाद जब लोक भाषाओं का साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में भाषा के रूप में प्रसार हुआ, तब धीरे-धीरे संस्कृत का प्रसार कम होता गया और मध्यकाल में अंतरप्रांतीय संपर्क भाषा के रूप में 'हिंदी' का जन्म हुआ और उसके बाद हिंदी में ही सारे कार्य संपन्न किए जाने लगे। लंबे समय से संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण हिंदी के अनेक रूपों का विकास हुआ है, जैसे–व्यापक क्षेत्रों की भाषा होने के कारण हिंदी में बोली की विविधता तो थी ही और अन्य भाषाओं के संपर्क में आने तथा उनकी संपर्क भाषा बनने के कारण कई क्षेत्रीय विविधताएं हिंदी में आई हैं। अकसर, यह प्रश्न उठता है कि अनेक भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपरा के बावजूद हिंदी ही भारत की संपर्क भाषा क्यों है? तो इसमें कई कारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी को संपर्क भाषा बनाने वाले प्रमुख कारकों का विवरण इस प्रकार है–

gurukpo.com

व्यापक प्रसार

सर्वविदित है कि देश में हिंदी का प्रसार सबसे अधिक है तथा एक बड़े भू-भाग में यह विस्तृत है। हिंदीभाषी राज्यों–उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी इसका व्यवहार होता है तथा भारत के बाहर भी हिंदी को ही बड़ी संख्या में बोला जाता है और भाषा-वैज्ञानिक आँकड़ों के अनुसार हिंदी का प्रयोग की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। इस प्रकार, हिंदी ही भारतीय भाषाओं में एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना कार्य आसानी से कर सकता है। अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी को आसानी से समझा-बोला जा सकता है और अगर द्विभाषिक लोगों का सर्वेक्षण किया जाए, तो ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी, जो किसी भारतीय भाषा के साथ हिंदी को जानते हों, न कि उनकी जो हिंदी से अलग भारतीय भाषाओं को जानते हों।

राजनीतिक कारण

जब अफगानिस्तान और तुर्की के मुस्लिम विजेताओं ने अपना शासन भारत में स्थापित किया तो उन्होंने हिंदी प्रदेश को ही चुना, जिसमें उनकी राजधानियाँ दिल्ली एवं आगरा में स्थापित की गई थीं। और इस तरह, इन क्षेत्रों की भाषा का देश भर में प्रसार हुआ। मुगलकाल में फारसी को राजभाषा तो बनाया गया था, पर जिन लोगों पर मुगलों का शासन था, उनकी भाषा से फारसी का संपर्क कठिन था। उन्हें प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सेना आदि संबंधित कार्यों के लिए तथा कर्मचारियों और जनसामान्य के संपर्क के लिए हिंदी की सहायता लेनी पड़ी और हिंदी व्याकरण के मेल से आगे चलकर पहले रेख्ता फिर उर्दू का विकास हुआ। इसके बाद जब मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ उन क्षेत्रों की बोली का व्यापक प्रसार हुआ तो दक्षिण में हिंदी प्रदेश के सैनिक, प्रशासनिक कर्मचारी, कलाकार- रचनाकार आदि पहुँचे और इस भाषा से जब वहाँ की भाषाओं का मेल-जोल हुआ, तो 'दक्खिनी हिंदी' का विकास हुआ। दक्खिनी हिंदी का प्रसार धीरे-धीरे आंध्र और कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आदि में हुआ। महाराष्ट्र में अधिकांश मराठी राजाओं, पेशवा, होल्कर, सिंधिया आदि ने इसे राजभाषा की पदवी दी। बहमनी राज्य में भी लगभग ऐसी ही व्यवस्था रही। इस तरह हिंदी अपने प्रदेश से बाहर अखिल भारतीय रूपों में विकसित हुई तथा आज भी यह प्रक्रिया कायम है। बंबइया और हैदराबादी हिंदी जैसे रूप आज भी देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी के राजभाषा होने के बाद भी कचहरियों में हिंदुस्तानी का प्रयोग किया गया। आजादी के बाद, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने के बाद हिंदी को प्रशासनिक संपर्क की भाषा रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें केंद्र सरकार की नौकरियों तथा अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं के लिए हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की आवश्यकता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारण

भाषा के प्रसार में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्त्व की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे–सांस्कृतिक कार्यों का संबंध समाज के सभी वर्गों से होता है तथा धर्म और दर्शन सामाजिक- सांस्कृतिक जीवन के महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। भारतीय दर्शन और धर्म किसी क्षेत्र विशेष में सीमित न रहकर अखिल भारतीय स्तर पर व्याप्त हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण मध्यकालीन भक्ति-आंदोलन है। अखिल भारतीय धार्मिक-सांस्कृतिक तत्त्वों ने ही हिंदी को संपर्क भाषा बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे–उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों (बदरिकाश्रम, काशी आदि) की महत्ता केवल तीर्थस्थान या संत-समागम-स्थान के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ क्षेत्र दार्शनिक चिंतन-मनन के केंद्र भी थे। दक्षिण से आए रामानंद एवं वल्लभाचार्य ने काशी एवं ब्रज में अपनी शिष्य परंपरा कायम की तथा इनके अलावा ये क्षेत्र सूफी-साधकों की परंपरा से भी जुड़े थे तथा दक्षिण क्षेत्रों में संतों, दरवेशों, फकीरों आदि के माध्यम से हिंदी का प्रसार किया गया और इस तरह विभिन्न भाषा-भाषी प्रांतों के हिंदी-क्षेत्र से संपर्क होने के कारण हिंदी भाषा अनायास ही संपर्क भाषा के रूप में ढलती गई।

इसके बाद विभिन्न भाषा-भाषी विद्वानों ने हिंदी में साहित्य-रचना की, जैसे–गोरखनाथ, चरपटनाथ आदि नाथपंथी कवियों के अलावा सिक्ख गुरुओं ने भी हिंदी में अपनी 'वाणी' का प्रकाशन किया। मराठी कवियों–नामदेव, रामदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ तथा केरल के राजाराम वर्मा ने भी अपनी कविता हिंदी में लिखी। विभिन्न भागों के रचनाकारों को हिंदी बहुत समय से अपनी ओर आकृष्ट करती रही है। आधुनिक युग में भी ऐसा ही रहा जिसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर, 'भानुसिंह' नाम से ब्रजभाषा में काव्य-रचना किया करते थे।

राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, बंकिमचंद्र, तिलक, रानाडे, दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधी आदि ने अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी के प्रयोग की महत्ता खुद भी समझी और लोगों को प्रेरित भी किया कि वे इसका प्रयोग करें और इसी आधार पर इन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। इस तरह हिंदी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी।

सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का एक व्यापक क्षेत्र है संगीत का क्षेत्र। मध्यकाल के संतों ने भक्ति की रसमयी धारा से जनता के मुरझाए मनों को सींचने के साथ कविता और संगीत का अपूर्व मेल भी घोषित किया तथा ब्रजभाषा कविता में शास्त्रीय संगीत के प्रवेश द्वारा कीर्तन गायन की अद्भुत परंपरा स्थापित की गई। स्वामी हरिदास जैसे महान गायकों द्वारा शताब्दियों से शास्त्रीय संगीत का विकास किया जा रहा है और इस प्रकार, भारतीय सांस्कृतिक जीवन ने (विशेष रूप से हिंदुस्तानी संगीत और कथक जैसे नृत्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में) हिंदी को अद्भुत महत्ता प्रदान की है।

आधुनिक सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में सिनेमा का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में सर्वाधिक फिल्में सबसे ज्यादा हिंदी में ही बनती हैं तथा लोकप्रिय होती हैं। आज यह कहा जाना सही है कि अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक प्रसार के कारण हिंदी फिल्में ज्यादा

बनता हैं तथा फिल्मों ने ही हिंदी के प्रसार में योगदान देकर हिंदी को लोकप्रियता प्रदान की है। यह अद्भुत है कि हिंदी-फिल्म-उद्योग का केंद्र भी अहिंदीभाषी क्षेत्र (बंबई) है तथा इसके अलावा हिंदी फिल्मों के स्टूडियो मद्रास और बंगलौर में भी हैं।

फिल्मों के बाद जनसंचार माध्यमों को देखें, तो साबित होता है कि न केवल हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या अन्य भाषा की पत्रिकाओं से ज्यादा है, बल्कि अधिक संख्या में हिंदीतर क्षेत्रों से इनका प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भी प्रमुख भाषा हिंदी है तथा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों का प्रसारण हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी करता है।

व्यापारिक कारण

अखिल भारतीय स्तर पर व्यापार तथा उद्योग में आज भी हिंदी की स्थिति पहले की तरह है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की व्यापार एवं वाणिज्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मुगल शासकों की राजधानी आगरा होने के कारण व्यापार की मंडी के रूप में इसका अत्यधिक विकास किया गया, जिसके कारण उत्तर-दक्षिण के व्यापारियों और पूँजीपतियों का वहाँ आवागमन शुरू हुआ तथा यहाँ के लोग बड़ी संख्या में अन्य क्षेत्रों में जा बसे और उन क्षेत्रों में अपनी बोली पहुँचाई और इसके अतिरिक्त, हिंदीतर क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के कारण हिंदी क्षेत्र के अनेक कारीगरों और श्रमिकों ने रोजगार पाकर भाषिक आदान- प्रदान में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

सीखने में सरलता के कारण

कोई भी भाषा सीखने की सरलता के कारण ही जन-सामान्य के बीच संपर्क भाषा बन सकती है और यह गुण अवश्य ही हिंदी में है, तभी तो वह बहुत समय से अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा की भूमिका अच्छी तरह निभा पा रही है। भारोपीय परिवार की अन्य भारतीय भाषाओं से 'रूप' तथा 'शब्द' स्तर पर इसकी निकटता देखी जाती है तथा अन्य भाषाओं की तुलना में इसके व्याकरणिक रूप कम हैं, लेकिन इसकी ध्वनियाँ सुनिश्चित है तभी तो भारोपीय परिवार के अन्य भाषा-भाषी इसे बिना कठिनाई के सीख लेते हैं तथा दक्षिण भाषा-भाषी भी थोड़े-से प्रयास द्वारा इसे सीखने में सफल हो सकते हैं।

अत: स्पष्ट है कि उपर्यक्त विशेषताओं के कारण ही हिंदी भारत की संपर्क भाषा बनने के योग्य है। इस दृष्टि से प्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी का वक्तव्य ध्यातव्य है–"बोलनेवालों एवं व्यवहार करने तथा समझनेवालों की संख्या की दृष्टि से हिंदुस्तानी का स्थान जगत की भाषाओं में तीसरा है, इसके पहले केवल चीनी भाषा की उत्तरी बोली तथा अंग्रेजी का है। इस प्रकार हिंदी या हिंदुस्तानी आज के भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा रिक्थ है। यह हमारे भाषा विषयक प्रकाश का महत्तम साधन तथा भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप है। वास्तव में हिंदी ही भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है।"

खंड–ख

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए–

प्रश्न 1. राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए।

उत्तर–राजभाषा विकास के बारे में सर्वप्रथम संविधान के उपबंधों में उल्लेख हुआ है। उपबंधों के द्वारा राजभाषा के विकास हेतु दिशा निर्देश दिया गया है और राष्ट्रपति-आदेश से इसे वास्तविक रूप देने की कोशिश की गई। साथ ही, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार, राजभाषा के रूप में हिंदी का सही ढंग से इस्तेमाल हो, इस दिशा में विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से हिंदी-विकास तथा प्रचार-प्रसार के कार्य को किए जाने की कोशिश की गई। वर्तमान समय में विभिन्न विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं की तरफ से हिंदी-विकास तथा प्रचार-प्रसार के कार्यों को किया जा रहा है।

शासन के तीनों अंगों के कर्मचारी यदि हिंदी भाषा सीखकर उसी माध्यम से काम करें, तो राजभाषा का व्यापक प्रसार होगा। राजभाषा कार्यान्वयन में सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कार्यांग है तथा विधानांग एवं न्यायांग के कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व भी कार्यांग का ही है। शासन के तीनों अंगों में राजभाषा के प्रयोग के लिए आवश्यक साहित्य तथा सामग्री का निर्माण आवश्यक है तथा यह दायित्व कार्यालयों का है कि वे कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, आवश्यक साहित्य-लेखन और अनुवाद की व्यवस्था करे तथा हिंदी में काम करने की प्रगति का आकलन करे। राजभाषा विभाग हिंदी-कार्यान्वयन की व्यवस्था तथा देख-रेख करता है।

हिंदी कार्यान्वयन में तीन प्रकार की समितियों की भूमिका उल्लेखनीय है, जो विभिन्न स्तरों पर उस कार्य को अंजाम दे रही हैं–केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। हिंदी कार्यान्वयन में कई तत्त्वों की भूमिका होती है, जैसे– इसमें प्रगति संबंधी सूचनाओं का निरीक्षण कर संसद में पेश किए जाने की व्यवस्था की जाती है तथा राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन भी किया जाता है। इस कार्य में अनुवाद का भी बड़ा महत्त्व है, जिसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो न केवल अनुवाद करता है, बल्कि हिंदी कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करता है। इस दिशा में कर्मचारियों के शिक्षण-प्रशिक्षण में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान तथा केंद्रीय राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका अतिमहत्त्वपूर्ण है।

हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उनके लिए शिक्षण-व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, जो पारंपरिक शिक्षा से हिंदी नहीं सीख पाते। हिंदी के प्रचार-प्रसार में कई स्वैच्छिक संस्थाएँ भी काम कर रही हैं, जिन्हें भारत सरकार सरकारी अनुदान देती है। सरकारी कार्यालय प्रोत्साहन आदि के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण देते हैं तथा हिंदी-प्रयोग के विस्तार के लिए लेखन, वाद-विवाद-प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि

का आयोजन करते हैं। विदेशों में हिंदी-प्रचार के लिए सरकार विदेशी छात्रों को भारतीय छात्रवृत्ति देती है तथा राजभाषा के विकास में यांत्रिक साधनों–प्रिंटर, टेलेक्स, कम्प्यूटर आदि का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

अत: इस प्रकार समझा जा सकता है कि राजभाषा के विकास के विविध आयाम हैं, जैसे–स्वैच्छिक संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं, विकास की योजनाओं तथा उच्च स्तरीय शिक्षा माध्यम से हिंदी के प्रयोग का व्यापक विस्तार हो सकता है जिससे लोगों को हिंदी में कार्य करने की निर्बाध सुविधा प्राप्त होगी।

प्रश्न 2. शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी की विभिन्न संभावनाओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–छात्र इतिहास आदि विषयों को जिस भाषा माध्यम से पढ़ता है, वह भाषा माध्यम विषयों की तरह ही महत्त्वपूर्ण है। जिस तरह छात्रों के लिए माध्यम भाषा का महत्त्व होता है, उसी तरह शिक्षा का माध्यम बनना भाषा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। भाषा कई विषयों का माध्यम बनती है, जिसके कारण उसे भिन्न-भिन्न सामाजिक दृष्टि मिलती है।

शिक्षा का माध्यम वस्तुत: छात्र को दो तरह से प्रभावित करता है, एक तो जिस भाषा माध्यम से वह शिक्षा पाता है, उस भाषा माध्यम में छात्र की बौद्धिक क्षमता का समुचित विकास होता है तथा दूसरी तरफ, शिक्षा प्राप्ति के बाद उस भाषा माध्यम का व्यावसायिक उपयोग कर वह सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में योगदान देता है। अगर छात्र को भाषा माध्यम की जानकारी न हो, तो विषय की जानकारी के बावजूद वह अपने ज्ञान का रचनात्मक प्रयोग नहीं कर पाता और अगर भाषा सीखने में ही छात्र अपनी सारी बौद्धिक क्षमता लगा दे तब भी विषय की जानकारी सामान्य स्थिति की तरह नहीं ले सकता। माना जाता है कि शिक्षा का माध्यम व्यक्ति के प्रतिभा-विकास में अहम स्थान रखता है। शिक्षा माध्यम की भाषा और प्रयोजनपरक क्षेत्र की भाषा अगर एक हो, तो समाज के साथ-साथ राष्ट्र का भी विकास होता है। भाषा केवल शिक्षा का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के व्यापक विकास में भाषा महत्त्वपूर्ण योगदान देती है, इसलिए इस दृष्टि से हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाना उचित ही नहीं, सार्थक कार्य भी है। हिंदी को शिक्षा-माध्यम की भाषा बनाया जाना कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न तथ्यों के स्पष्टीकरण से इस बात को समझना आसान हो जाता है, जैसे–भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा, शिक्षा और जनसामान्य, शिक्षा माध्यम और राजभाषा, रोजगार से जुड़ाव, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ाव।

मूल्यांकन : सीमाएँ और संभावनाएँ

हिंदी भाषा या आठवीं सूची की भाषा माध्यम से शिक्षा माध्यम की उपयोगिता भारतीय जनता के विकास और राष्ट्रीय प्रगति की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हिंदी भाषा माध्यम से समाज के वर्ग-भेद को मिटाया जा सकता है, लेकिन केवल माध्यमिक शिक्षा स्तर पर हिंदी अपनाने से समाज का कुछ भला नहीं होगा, जब तक उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी माध्यम को व्यापक रूप से अपनाया नहीं जाता।

आज हिंदी माध्यम की उच्च स्तरीय सामग्री आवश्यकता के अनुकूल उपलब्ध नहीं है, पर आधुनिक ढंग की शिक्षा की शुरुआत में इस दिशा में काम शुरू किए गए थे। 1860 ई. से आजादी मिलने तक बड़ी संख्या में विविध विषयों की पुस्तकें तथा अनुवाद लेखन किए गए। इन लेखकों में काशीप्रसाद, वासुदेवशरण अग्रवाल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महेश चरण सिन्हा, डॉ. सत्यप्रकाश, फूलदेव सहाय आदि अग्रणी थे, जिन्होंने इतिहास, संस्कृति, विज्ञान आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण लेखन किया। इस दौरान 'विज्ञान' तथा 'आयुर्विज्ञान' महासम्मेलन पत्रिकाओं के अतिरिक्त हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं 'सरस्वती', 'प्रभा', 'विशाल भारत' आदि भी प्रकाशित हुईं।

आजादी के उपरांत कुछ समय के लिए हिंदी-विकास रुक-सा गया था, लेकिन 1965 से 1975 तक हिंदी के विकास की लहर तेज हुई, जो फिर धीमी पड़ गई। आज केन्द्रीय स्तर पर हिंदी-लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही पुरस्कारों की योजना भी बनाई गई है। पर, लेखन-कार्य में अपेक्षित विकास नहीं दिखता। शिक्षक वर्ग, विद्वत् वर्ग या विशेषज्ञ इस कार्य में पूरी तरह रत नहीं हैं, क्यों? क्योंकि, मौजूदा नौकरशाही तंत्र इस दिशा में बाधक है। लोग हिंदी माध्यम का महत्त्व भी समझते हैं तथा वे राष्ट्र-समाज के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का अंग्रेजी के प्रति रुझान होने की वजह से वे हिंदी का विकास कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को रोजगार के क्षेत्र से जोड़ना जरूरी है, जिससे छात्र-वर्ग, शिक्षक-वर्ग आदि खुद-ब-खुद इसमें (हिंदी-माध्यम में) सक्रिय हो जाएंगे। हिंदी तथा अन्य भारतीयों भाषाओं का ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पुन: विकास तभी संभव है, जब सक्रिय वर्ग इसकी सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से महत्ता समझे, क्योंकि हिंदी की महत्ता की कोई इयत्ता (सीमा) नहीं है।

प्रश्न 3. हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–भाषा का प्रयोजन विस्तार–'हिंदी' विकासशील समाज की भाषा है और इस स्थिति में भाषा के कई विशिष्ट प्रयोजनों का विस्तार होता है, जिसके लिए भाषा की नयी भूमिका बनानी होती है। इसे भाषा का विकास कहते हैं। आधुनिक जीवन में भाषा के प्रयोजन-विस्तार में कई कारक तत्त्वों की सहभागिता होती है, जैसे–हिंदी एक विकासशील बहुभाषी समाज की भाषा के साथ देश की राजभाषा भी है। इन कारकों के आधार पर आधुनिक प्रयोजनों के क्षेत्र तथा उनकी भाषा-सामग्रियों को जाना जा सकता है। भाषा के विभिन्न प्रयोजन-क्षेत्र इस प्रकार हैं–

राजभाषा

भाषा-प्रयोजन का सबसे पहला तथा सबसे बड़ा क्षेत्र राजभाषा का है, जिसमें प्रशासन और विधि आदि में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रशासनिक तथा विधि-साहित्य की उपलब्धता से ही हिंदी माध्यम का काम सहज-सुगम हो सकता है। आजादी के पहले

प्रशासनिक साहित्य, विधि-साहित्य तथा सारे अधिनियम-नियम अंग्रेजी में ही बनाए गए थे। वर्तमान में जब प्रशासनिक नियमों में हिंदी की आवश्यकता सामने आई, तो भारत सरकार ने अंग्रेजी से हिंदी-अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की नियुक्ति की। ब्यूरो विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक साहित्य, पत्राचार, टिप्पणी, स्थायी नियमावलियों, मैन्युअल आदि का हिंदी में अनुवाद करता है। भारत सरकार ने यह प्रावधान भी बनाया कि आगे से समस्त प्रशासनिक साहित्य द्विभाषा (हिंदी-अंग्रेजी) में तैयार किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता आदि अपनी भाषा का सदर्भ देख-समझ सके। सरकार ने विधि-साहित्य के अनुवाद का काम विधि-मंत्रालय के जिम्मे दिया है, क्योंकि विधि-साहित्य तकनीकी तथा विशिष्ट है। इस क्षेत्र के साहित्य का अनुवाद राजभाषा आयोग के बाद, अब विधायी विभाग के राजभाषा खंड के द्वारा किया जाता है।

शिक्षा की भाषा

सारे प्रयोजनों की केंद्रबिंदु होने के कारण शिक्षा का क्षेत्र आधुनिक भाषा-प्रयोजनों में सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के व्यापक प्रसार के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजनों के लिए सक्षम नहीं हो सकता। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की व्यवस्था आधुनिक समय की माँग के अनुसार की गई। आजीविका तथा अन्य प्रयोजनपरक कार्यों से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का प्रयोग बहुत जरूरी है और इस दृष्टि से भाषा का स्थान महत्त्वपूर्ण माना जाता है। बीते समय में उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम की प्रमुखता थी, पर अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ, दिल्ली कार्यान्वयन बोर्ड तथा निजी प्रकाशकों के प्रयत्नों से विविध विषयों की पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित होने लगी हैं।

प्रसार का क्षेत्र

इस क्षेत्र के कार्य का विस्तार माँग के अनुसार होता है, क्योंकि हिंदी-प्रसार का क्षेत्र असंगठित है, इसलिए इनका कोई निश्चित और योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों से ही अधिकतर कार्य किए जाते हैं। प्रसार के क्षेत्र में कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्र आते हैं, जिनमें हिंदी की भूमिका होती है। ये इस प्रकार हैं–

(i) **पुस्तकों का प्रकाशन**–इस क्षेत्र का अधिकतर प्रकाशन कार्य निजी प्रकाशकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें साहित्यिक कृतियों के साथ जन-सामान्य के लिए रोचक पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। इस कार्य में सरकारी संस्थाएं–नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग आदि भी सहयोग करती हैं तथा साहित्य अकादमी और साहित्य ग्रंथ अकादमियाँ हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में मौलिक ग्रंथों तथा अनूदित ग्रंथों को प्रकाशित करती हैं।

(ii) **फिल्म-निर्माण**–भारत में फिल्मों का निर्माण सिर्फ निजी निर्माताओं (उद्यमियों) द्वारा किया जाता है, जिसमें कभी-कभी भारत सरकार वित्तीय सहायता देती है। भारत में हर साल लगभग 3,000 फिल्में बनती हैं, जो स्तरीय भाषाओं की होती हैं। फिल्मों के द्वारा भी हिंदी भाषा का प्रसार होता है। हम कह सकते हैं कि फिल्में भाषा के द्वारा लोगों को भावनात्मक स्तर पर जोड़ती हैं।

(iii) **आकाशवाणी तथा दूरदर्शन**–रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा लोगों की भाषिक सृजनात्मक प्रतिभा तथा प्रस्तुति के कौशल का विकास होता है तथा रोचक होने के कारण इनसे भाषा का प्रसार भी अच्छी तरह हो पाता है। इस क्षेत्र के लिए निश्चित योजना की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपना विकास खुद करने में यह क्षेत्र सक्षम है। हम कह सकते हैं कि मनोरंजन के माध्यम से भाषा का व्यापक प्रसार होता है, जिसके कारण इन कार्यक्रमों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ती है।

(iv) **समाचार-पत्र तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन**–इन क्षेत्रों में सरकारी स्तर पर नहीं निजी स्तर पर काम होता है।

भाषा का कोड विस्तार

भाषा ध्वनियों के द्वारा निर्मित होती है तथा अर्थ प्रकटीकरण भी ध्वनि प्रतीक के माध्यम से होता है और इस तरह संरचना के द्वारा शब्द संपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। प्रतीकों से बनी व्यवस्था के कारण भाषा की व्यवस्था को कोड-व्यवस्था कहा जाता है।

कोड-विस्तार की विभिन्न दिशाएं हैं जिनके द्वारा इस प्रक्रिया को जाना जा सकता है। वे दिशाएं इस प्रकार हैं–

ध्वनि और लिपि में कोड विस्तार

यद्यपि संस्कृत भाषा से हिंदी-वर्णमाला को ग्रहण किया गया है, फिर भी हिंदी भाषा की आधुनिक समय की अन्य भाषाओं से (परिचय) मिलन होने के कारण भाषा को नयी ध्वनियों और लिपि चिह्नों की आवश्यकता हुई।

अनुनासिकता (ँ), ड़ तथा ढ़ का उच्चारण तथा इसके लिपि चिह्न का निर्माण आधुनिक युग के पहले ही हिंदी भाषा में हो चुका था। लेखन में इसका स्थान अभी भी निश्चित है, पर वर्णमाला में निश्चित नहीं। कुछ पत्र-पत्रिकाओं में मुद्रण की प्रक्रिया के कारण अनुनासिकता चिह्न छपता ही नहीं, लेकिन लिखने में लोग इसका प्रयोग करते हैं।

उर्दू की पाँच ध्वनियाँ (नुक्ते वाले) आधुनिक समय में ही हिंदी में आई–क़, ख़, ग़, ज़, फ़। कुछ लोग इन चिह्नों का प्रयोग जरूरी समझते हैं तथा कुछ नहीं। क/ख/ग/ का प्रयोग हिंदी में कुछ उर्दू के जानकार लोग ही सही उच्चारण के साथ करते हैं तथा ज़, फ़ ध्वनियाँ अंग्रेजी से भी ली गई हैं,

खंड-ग

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर लगभग 300 शब्दों में टिप्पणी लिखिए–

प्रश्न 1. पालि और प्राकृत

उत्तर–पालि–ई.पू. 500 से लेकर 1 ई. तक के युग में जो भाषा जनसाधारण के द्वारा बोलचाल के लिए व्यवहृत हुई, उसे 'पालि' भाषा की संज्ञा दी गई। 'पालि' शब्द के अर्थ तथा उसके नामकरण में मतभेद है। संभवत: इस भाषा का नाम मगधी था। बुद्ध के उपदेश में पालि भाषा का प्रयोग मिलता है। कुछ विद्वानों ने 'पालि' शब्द को 'पालना' धातु से जोड़कर इसके नामकरण की सार्थकता बताने की कोशिश की है। 'पालना' इसलिए, क्योंकि बुद्ध के वचन इसमें सुरक्षित रखे गए हैं।

पालि भाषा के स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। स्वभावत: भगवान बुद्ध मगध के थे, इसलिए सोचा जा सकता है कि 'पालि' भाषा मगध की है, लेकिन यह भाषा संस्कृत के स्थान पर बोलचाल के लिए व्यवहृत हुई है, तो संभावना है कि यह (पालि) और भी जगहों पर व्यवहार में आती रही होगी।

पालि-साहित्य

पालि भाषा में मुख्यत: दो प्रकार के साहित्य की रचना मिलती है–

(i) **त्रिपिटक**–सुत्त, विनय और अभिधम्म,

(ii) **अनुपिटक**–जातक, मिलिंदपञ्हो, अट्ठकथा, महावंश आदि।

सुत्त (सुप्त), विनय और अभिधम्म (अभिधर्म) बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ हैं। इनमें बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप मिलता है। त्रिपिटक की भाषा का संबंध वैदिक संस्कृत से माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि वैदिक संस्कृत से पालि तथा लौकिक संस्कृत से प्राकृत का विकास-क्रम बना है।

पालि भाषा के बारे में अशोक सम्राट के शिलालेखों की भाषा से भी जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि शिलालेख के द्वारा अशोक ने अपनी जनता को धर्म के बारे में जानकारी तथा शासन की आज्ञाएं देने के लिए पालि भाषा का ही प्रयोग किया है। इन शिलालेखों का समय ई.पू. तीसरी-दूसरी शताब्दी है। पालि भाषा के तीन रूप प्रचलित थे–पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमी-उत्तरी। पालि भाषा के स्वरूप का परिचय हमें उस समय के अन्य शिलालेखों और ताम्रपत्रों से और गुफाओं की दीवारों पर खुदे लेख से भी मिलता है।

पालि भाषा की विशेषताएँ

(1) **ध्वनि स्वर**–पालि भाषा में ध्वनि स्वर स्तर पर कई विशेषताएँ मिलती हैं–

(क) 'ऋ' का उच्चारण परिवर्तित होना–नृत्य→निच्च, तृण→तिण।

(ख) ऐ तथा औ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग– शैल → सेल, चौर → चोर।

(ग) श, ष के स्थान पर 'स' का प्रयोग–नाशयति → नासेति, निषण्ण → निसन्न।

(घ) विसर्ग का स्थान 'ओ' स्वर ने ले लिया–वृद्ध: → बुड्ढो, देव: → देवो।

(च) भिन्न व्यंजनों के गुच्छ (युग्म) एक ध्वनि से द्वित्व हो गए, अग्नि → अग्गि

(ङ) कई गुच्छ (युग्म) में ध्वनियाँ ही बदल गई–दृष्ट → दिट्ठो आदि।

प्राकृत

जो प्रकृति के अनुरूप तथा जन-जीवन में व्याप्त हों, वह प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषाओं का प्रयोग साहित्य-लेखन के लिए हुआ, इसलिए प्राकृत भाषा को साहित्यिक प्राकृत की संज्ञा दी गई।

पहली शताब्दी में अश्वघोषकृत संस्कृत के नाटकों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया तथा दूसरी शताब्दी में **'धम्मपद'** (धर्मपद का प्राकृत रूप) नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया। इस भाषा में गाथा-साहित्य की भी रचना हुई तथा 'अट्ठकथा' आदि ग्रंथ लिखे गए।

प्राकृत की बोलियाँ

भाषा-वैज्ञानिकों ने प्राकृत भाषा में पाँच प्रकार की बोलियों को माना है, जो इस प्रकार हैं–

1. **शौरसेनी**–शौरसेनी प्राकृत मथुरा या शूरसेन प्रदेश के आस-पास व्यवहृत होती थी। साहित्य सृजन के क्षेत्र में सबसे अधिक मान्यता इसी भाषा को मिली। संस्कृत नाटकों मे स्त्री पात्रों की भाषा में मुख्य रूप से शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग दिखता है तथा दिगम्बर (जैन) संप्रदाय का धार्मिक साहित्य प्राकृत में ही लिखा गया।

2. **पैशाची**–पैशाची प्राकृत को पिशाच जाति की भाषा माना जाता है, जिसका निवास महाभारत काल में भारत के उत्तर-पश्चिम (कश्मीर) में माना गया था, इसलिए इस भाषा पर दरद (कश्मीर की भाषा) भाषा का प्रभाव भी दिखता है। इस भाषा का साहित्य मूलत: पैशाची में था, पर अब यह अपने मूल रूप में नहीं संस्कृत रूप में उपलब्ध है-बृहत् कथामंजरी, कथासरित्सागर आदि।

3. महाराष्ट्री–वैसे तो इसका मूल स्थान महाराष्ट्र है, लेकिन कुछ विद्वान इसे पूरे भारत की भाषा के रूप में देखते हैं। महाराष्ट्री प्राकृत में विपुल साहित्य मिलता है। कालिदास, हर्ष आदि ने अपने नाटकों में इसी (प्राकृत) का उपयोग किया है तथा जैनियों के धार्मिक ग्रंथ महाराष्ट्री में ही लिखे गए हैं, जिससे इसको जैन महाराष्ट्री भी पुकारा जाता है। गाथा सप्तशती (गाहा सत्तसई) इसकी प्रमुख रचना है।

4. अर्धमागधी–शौरसेनी और मगध के बीच की भाषा होने के कारण इसे अर्धमागधी कहा गया। इस भाषा का प्रयोग जैनियों ने साहित्य रचना के लिए किया।

5. मागधी–यह मगध की भाषा है तथा इसी को गौड़ी भी कहा जाता है। इस भाषा में साहित्य रचना अधिक नहीं मिलती।

प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ

पाँचों प्राकृत भाषाओं की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, जिन्हें हम ध्वनि स्तर तथा व्याकरणिक स्तर पर इस प्रकार समझ सकते हैं–

ध्वनि स्तर–

(i) प्राकृत में शब्दांत महाप्राण व्यंजन में बदल गए–मेहो (मेघ), मुँह (मुखम्)।

(ii) 'न' का परिवर्तन 'ण' में हो गया–नगरम्–णअरं।

(iii) मध्य शब्द के व्यंजन लुप्त हो गए–कअं (कृतम्) मओ (मृत) आदि।

व्याकरणिक स्तर

(i) संस्कृत के 24 रूपों की तुलना में प्राकृत में 12 रूप रह गए।

(ii) प्राकृत में विभिन्न लकारों के रूप घटकर 72 हो गए।

प्रश्न 2. संविधान और राजभाषा

उत्तर–संविधान और राजभाषा–संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जो कुल 18 भागों में है तथा भाषा से संबंधित 11 अनुच्छेद और एक पूरा भाग (भाग 17) है, जिससे पता चलता है कि भाषा के प्रश्न को संविधान के निर्माताओं ने कितना महत्त्व दिया है। भाषा से संबंधित अनुच्छेदों के अध्ययन से भाषा के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है–

संघ की राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, हिंदी संघ की राजभाषा होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) का उपयोग किया जाएगा।

इस अनुच्छेद के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का पूर्ववत् उपयोग किया जाता रहेगा, अर्थात 1965 तक, परंतु राष्ट्रपति इस अवधि में (1950 से 1965 तक) अंग्रेजी के अतिरिक्त शासकीय प्रयोगों के लिए हिंदी भाषा तथा देवनागरी अंकों के उपयोग के लिए आदेश दे सकते हैं।

इस अनुच्छेद के अनुसार, यह प्रावधान भी किया गया था कि संसद 15 वर्ष की अवधि (1950 से 1965 तक) के बाद भी विधि द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का या देवनागरी अंकों का प्रयोग उपबंधित कर सकती है।

तात्पर्य यह है कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के आवश्यकतानुसार बने रहने का तथा हिंदी के क्रमिक दायित्व ग्रहण का प्रावधान किया गया था।

प्रदेशों की राजभाषा/राजभाषाएँ

संविधान के अनुच्छेद 345, 346 एवं 347 में राज्यों की राजभाषा तथा संपर्क भाषा की चर्चा की गई है। तीनों अनुच्छेद अध्याय दो में आते हैं। इनका विवरण आगे प्रस्तुत है–

345 अनुच्छेद–राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं–इस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 346 और 347 के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी भाषा को या हिंदी को उस राज्य के सभी या कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा उपबंध न करे, तब तक राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, जैसे संविधान बनने के पूर्व होता था।

अनुच्छेद 346–एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा–संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा राज्य और संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा होगी, परंतु यदि दो या अधिक राज्य पत्राचार के लिए राजभाषा हिंदी का करार करते हैं, तो उस स्थिति में हिंदी भाषा का प्रयोग पत्राचार के लिए किया जा सकता है।

अनुच्छेद 345 के अनुसार, राज्य किसी भी भाषा को राजभाषा बना सकता है तथा यह भी महत्त्वपूर्ण बात है कि राज्य चाहे जितनी भाषाओं को राजभाषा की पदवी दे सकता है।

इस अनुच्छेद (346) के उपबंधों के अनुसार यदि राज्य के किसी क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बसे हों तो उनकी भाषा को उस क्षेत्र में शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकृति दी जा सकती है, इसका निर्णय केंद्र सरकार नहीं, उस राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा करता है।

ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि राज्य का विधानमंडल उस प्रदेश में बोली जाने वाली अन्य भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार न करे। इस स्थिति में अनुच्छेद 347 में राष्ट्रपति द्वारा समाधान दिया जाता है।

अनुच्छेद 347–किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा में विशेष उपबंध–जब राज्य का विधानमंडल प्रदेश की अन्य भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार नहीं करता, तो राष्ट्रपति यह प्रावधान करते हैं कि जब राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपनी भाषा को राज्य की मान्यता दिलाना चाहता है तो ऐसा निर्देश दिया जाता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सब क्षेत्रों में या किसी भाग के लिए शासकीय मान्यता दी जाए, लेकिन भाषा संबंधी मान्यता के लिए राष्ट्रपति की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे–उस भाषा के बोलने वालों की पर्याप्त संख्या हो और वे माँग करें कि उनकी भाषा को मान्यता दी जाए।

स्पष्ट है कि अनुच्छेद 345 में राज्य के विधानमंडल द्वारा एक या अनेक भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृति देने की चर्चा है तथा अनुच्छेद 347 में जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा है।

प्रदेशों के बीच संपर्क

अनुच्छेद 346 दो राज्यों के बीच की संपर्क भाषा की चर्चा करता है। यहाँ यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि क्या दो राज्य अपनी-अपनी राजभाषा (हिंदी या अंग्रेजी से अलग भाषा) में आपस में पत्राचार कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार, यह संभव नहीं है तथा सभी राज्यों को संघ की राजभाषा में ही पत्राचार आदि कार्य करना होगा। उपर्युक्त व्यवस्था का आधार यह है कि जब दो राज्यों का संपर्क विचार या उनके विवाद आदि केंद्र सरकार के सामने या सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाएंगे, तो उन पर पत्राचार या विचार संघ की राजभाषा में किया जाएगा।

■■